भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2408

16 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

धान की खरीद में अनियमितताएं

2408. श्रीमती वीणा देवी:

श्री सौमित्र खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल में धान की खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अनियमितताओं के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): बिहार और पश्चिम बंगाल सहित खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त शिकायतें निम्नानुसार हैं:

देश भर में शिकायतों की संख्या (बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर)	बिहार की शिकायतों की संख्या	पश्चिम बंगाल की शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतें
2	0	1	3

(ख): सरकार, सरकारी खरीद केंद्रों के खराब प्रबंधन, जाली खरीद और मिलर्स के परिसर में धान/चावल के स्टॉक के भंडारण के स्थान पर मुख्यत: खरीद केंद्रों के प्रचालनों में अनियमितता, मिलर्स द्वारा धान की खरीद के संबंध में शिकायतें की गई हैं।

.....2/-

(ग): धान की खरीद से संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा खरीद प्रचालनों को सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नलिखित पहल/उपाय किए गए हैं:

i) फसल के बुवाई मौसम के आरंभ में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकार एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करती हैं। इस विस्तृत जानकारी से किसान अपनी पसंद की फसल उगाने में सक्षम होता है।

ii) किसानों को गुणवत्तापरक विनिर्दिष्टों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि उन्हें विनिर्दिष्टों के अनुरूप अपने उत्पादों को लाने की सुविधा प्रदान की जा सके।

(iii) उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसी अन्य संभार तंत्र/बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अधिक संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं।

(iv) सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली कार्यान्वित की है, जिसमें भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। यह नकली किसानों, भुगतान के डॉयवर्जन और डुप्लीकेशन को समाप्त करता है और इससे जवाबदेही, पारदर्शिता और रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है।

(v) भारतीय खाद्य निगम और अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है और इन मॉड्यूलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य, निकटतम खरीद केन्द्र, जिस तारीख को किसानों को अपने उत्पाद खरीद केन्द्र पर लाने हैं, आदि के संबंध में नवीनतम/अद्यतन सूचना प्राप्त हो। इससे किसानों द्वारा स्टॉक के वितरण के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम किया गया है और यह किसानों को नजदीकी मंडी/खरीद केन्द्र में उनकी सुविधा के अनुसार स्टॉक का वितरण करने के लिए सक्षम बनाता है।

vi) सरकार ने एक एप्लीकेशन इकोसिस्टम को विकसित करने की दिशा में, न्यूनतम थ्रेशहोल्ड मानदंडों (एमटीपी) की घोषणा की जिसमें केन्द्रीय पोर्टल के साथ ऐसे राज्य खरीद पोर्टलों को एकीकृत किया है, जिसमें एकरूपता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु और मानीटरिंग एवं रणनीतिक निर्णय लेने के लिए, खरीद संबंधी आवश्यक जानकारी एकल स्रोत पर उपलब्ध है।

vii) एमटीपी में आधार सीडिंग के साथ किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि अभिलेखों का एकीकरण, मंडी प्रचालनों का डिजिटलीकरण, बिलों का ऑटो-जनरेशन आदि सम्मिलित हैं और इन विशिष्टताओं से खरीद की प्रक्रिया से बिचौलिये को हटाने और किसानों को बेहतर एमएसपी मिलने में सहायता मिलती है।

******